

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.24( )लेखा-ए/अनु/निकाशि/RVRES/11-12/ 1971 -2011 दिनांक:- 13-3-12

सचिव,  
प्रबन्ध समिति,  
पूर्व में सहायता प्राप्त समस्त महाविद्यालय,  
राजस्थान

विषय:- पूर्व में अनुदानित पदों पर कार्यरत शैक्षणिक कर्मचारियों का  
छटे वेतनमान में वेतन नियतन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के पत्रांक एफ.24( )लेखा-ए/अनु/  
निकाशि/RVRES/11-12/05 दिनांक 10.01.12 द्वारा राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण  
शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत राजकीय सेवा में उपस्थित/नियुक्त कार्मिकों का  
नवीन यू.जी.सी. वेतनमान 2009 के अन्तर्गत वेतन नियतन करवाया जाकर, आवश्यक  
प्रविष्टियों का अंकन कर, कार्मिकों के पदस्थापित राजकीय महाविद्यालयों में भिजवाने  
के निर्देश प्रदान किये गये थे परन्तु करीब दो माह से अधिक समय व्यतीत होने के  
पश्चात् भी कुछ संस्थाओं द्वारा विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाकर इस  
विभाग को सूचित नहीं किया गया है ।

अतः जिन संस्थाओं के द्वारा विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही पूर्ण नहीं  
की गई है उन्हें निर्देश दिये जाते हैं कि दिनांक 24.3.2012 तक विभागीय निर्देशों की  
पालना सुनिश्चित करावें साथ ही समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि  
वेतन नियतन के सम्बन्ध में संलग्न प्रपत्र में सूचना भी तैयार करवाई जाकर आवश्यक  
रूप से दिनांक 24.3.2012 तक इस विभाग को प्रेषित करावें ।

संलग्न:- प्रपत्र

(सुबीर कुमार)

निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

**प्रपत्र**

संस्था का नाम .....

**छठे वेतनमान में वेतन नियतन की सूचना**

| क्र.सं. | विवरण   | शैक्षणिक | अशैक्षणिक | योग | विशेष विवरण |
|---------|---|----------|-----------|-----|-------------|
| 1       | दिनांक 1.1.06 को अनुदानित पदों पर नियुक्त शैक्षणिक कार्मिक                                    |          | -         |     |             |
| 2       | दि.1.9.06 को अनुदानित पदों पर नियुक्त अशैक्षणिक कार्मिक                                       | -        |           |     |             |
| 3       | दि.1.1.06 से 31.7.2011 तक सेवानिवृत्त/मृत्यु/त्यागपत्र देने वाले शैक्षणिक कार्मिक             |          | -         |     |             |
| 4       | दि.1.9.06 से 31.7.2011 तक सेवानिवृत्त/मृत्यु/त्यागपत्र देने वाले अशैक्षणिक कार्मिक            | -        |           |     |             |
| 5       | शेष (1-3) एवं (2-4)   |          |           |     |             |
| 6       | शेष कार्मिकों में से RVRES के तहत आवेदन नहीं करने वाले/उपस्थिति देने वाले कार्मिकों की संख्या |          |           |     |             |
| 7       | RVRES के तहत उपस्थिति देने वाले कार्मिक (5-6)   |          |           |     |             |
| 8       | छठे वेतनमान में करवाये गये वेतन नियतन का विवरण  |          |           |     |             |
|         | (i) क्र.सं.3 एवं 4 में से   |          |           |     |             |
|         | (ii) क्र.सं. 6 में से   |          |           |     |             |
|         | (iii) क्र.सं. 7 में से  |          |           |     |             |
| 9       | छठे वेतनमान में वेतन नियतन नहीं करवाये जाने का विवरण  |          |           |     |             |
|         | (i) क्र.सं.3 एवं 4 में से   |          |           |     |             |
|         | (ii) क्र.सं. 6 में से   |          |           |     |             |
|         | (iii) क्र.सं. 7 में से  |          |           |     |             |
|         | (iv) योग  |          |           |     |             |

सचिव  
प्रबन्ध समिति